राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 5(21)ग्रावि/नरेगा/जनरल/2022-23 4012 जयपुर दिनांक - 19/12/2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं,
जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषयः महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण करवाये जाने के संबंध में।

संदर्भः इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1(2) ग्रावि/नरेगा दिनांक 15.12.2021 एवं पत्र क्रमांक एफ 70(2)ग्रावि/नरेगा/प्रशि./राज्य 2015-16 दिनांक 25.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रत्येक ब्लॉक में 4) से राज्य के विभिन्न ब्लॉक्स के महात्मा गांधी नरेगा मेट पेनल में सम्मिलित मेट का प्रशिक्षण करवाये जाने के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक्स में स्वयं मेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा उसी ब्लॉक में दो पखवाडों की अवधि के दौरान पेनल में शामिल मेटों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु निम्नानुसार दो भागों में प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

भाग :- प्रथम (ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा मेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना)

1. प्रत्येक ब्लॉक में संगठन से सम्बद्ध 4 ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रशिक्षु मेट) द्वारा मेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा। (संलग्न सूची में अंकित अनुसार)
2. ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षु मेट) को सर्वप्रथम माह दिसम्बर 2022 के द्वितीय पखवाडे में मेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
3. ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षु मेट) द्वारा उसी पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा जिसका वह निवासी है।
4. ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (प्रशिक्षु मेट) को विकास अधिकारी/सहायक अभियंता पंचायत समिति द्वारा मेट के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों से सम्बन्धित सैद्धांतिक जानकारी प्रथम दिवस में दी जायेगी।
5. ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति (प्रशिक्षु मेट) को प्रशिक्षण अवधि में उसी ग्राम पंचायत में चल रहे किसी कार्य पर मेट के रूप में नियोजित कर फील्ड प्रशिक्षण (उपस्थिति

Scanned with CamScanner

का अंकन, दिये जाने वाले टास्क, श्रमिकों को कार्य आवंटन, कार्य मापन इत्यादि) दिया जायेगा।

6. उक्त बिन्दु 1-5 के अनुसार प्रशिक्षु मेट के प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं फील्ड प्रशिक्षण (मेट के रूप में उसी ग्राम पंचायत में चल रहे किसी नरेगा कार्य पर नियोजन) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विकास अधिकारी की होगी।
7. उक्त प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति भविष्य में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार मेट प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे। इस हेतु कार्यक्रम अधिकारी नरेगा द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

<u>भाग :- द्वितीय (मेट के रूप में प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षक के रूप में ब्लॉक में इम्पेनल्ड मेटों को प्रशिक्षण देना)</u>

1. प्रशिक्षित प्रत्येक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा माह जनवरी 2023 के दो पखवाडों में मेटों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. प्रशिक्षित प्रत्येक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रत्येक पखवाडे में 13-13 मेटों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार एक संदर्भ व्यक्ति द्वारा दो पखवाडे में 26 मेटों को प्रशिक्षित किया जायेगा। ब्लॉक स्तर पर दो पखवाडों में उक्त 4 ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों द्वारा कुल 104 मेटों को प्रशिक्षण देना होगा।
3. प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति जिस ग्राम पंचायत का निवासी है उसी ग्राम पंचायत के निकटस्थ ग्राम पंचायतों के मेटों को उनके द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही की जावे।
4. प्रत्येक पखवाडे में एक ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति के पास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 13 मेटों के लिए उपयुक्त कार्य स्थलों का निकटस्थ ग्राम पंचायतों/ग्रामों में ही चयन किया जावे।
5. ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों द्वारा पखवाडे के प्रथम दिवस में उनके अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 13 मेटों को एक साथ मेट के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों से सम्बन्धित सैद्धांतिक जानकारी दी जावे।
6. ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति द्वारा एक कार्य दिवस में दो मेटों को फील्ड प्रशिक्षण कार्यस्थल पर उपस्थित होकर दिया जावेगा। जिसमें भिन्न भिन्न आईटमस की लीड एवं लिफ्ट हेतु टास्क अनुसार कार्य आवंटन, कार्य मापन इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

7. प्रशिक्षण अवधि/मस्टररोल अवधि में आखिरी अवकाश दिवस (गुरूवार) को प्रशिक्षक द्वारा सभी 13 मेट प्रशिक्षकों को उस क्लस्टर की किसी एक ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर समीक्षा एवं चर्चा की जावेगी।
8. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मेट जिस कार्य पर नियोजित है उनको उसी कार्य के सामग्री मद से ही भुगतान दिया जायेगा।

अतः महात्मा गांधी नरेगा कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रशिक्षित ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों (संलग्न सूची में अंकित 1321 ब्लॉक संदर्भ व्यक्तियों) को मेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत पंचायत समितियों में इम्पेनल्ड मेटों के सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावे। जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को नियमित रूप से अवगत करवाया जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. श्री निखिल डे/पारस बंजारा, सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, जयपुर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, ईजीएस को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner